बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 05/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – अंचल कार्यालय, बड़हरा (आरा)

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2007–08 से 2008–09 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदा0 के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री विश्वनाथ सिंह, जिला पदा0 दि0 28.6.06 से 2.4.07 तक।
2. श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, जिला पदाधिकारी दि0 2.4.07 से 17.3.08 तक।
3. डा0 सफीना ए0 एन, जिला पदाधिकारी दि0 17.3.08 से 8.7.10 तक।

(ड़) अंकेक्षणावधि में लेखा प्रभारियों के नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री कुमार अनिल सिन्हा, अंचलाधिकारी दि0 1.4.07 से दि0 26.4.07 तक।
2. श्री अजय कुमार सिंह, अंचलाधिकारी दि0 26.4.07 से 31.3.09 तक।
3. शिवमुनीराय ,प्र0 लि0 सह लेखापाल दि0 1.4.07 से दि0 17.7.08 तक।
4. श्री बबन राम, प्र0 लि0 सह लेखापाल दि0 18.7.08 से दि0 31.3.09 तक।

5. श्री मनोज कुमार सिंह, रोकड़पाल

दि0 1.4.07 से दि0 17.7.08 तक ।

6. श्री सुनील कुमार,रोकड़पाल

दि0 18.7.08 से दि0 31.3.09 तक ।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 के नाम,पदनाम – श्री सुनील कुमार, नाजीर

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री अरूण कुमार ,व0 अं0– 2

2. श्री उदय शंकर, व0 अं0–2

(ग) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 20.12.2010

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 13.4.2011

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवसों की सं0 – 60 दिन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र – वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक–3286 दिनांक 15–9–1960 के निदेशों के आलोक में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण सम्पन्न किया गया। अंचल कार्यालय, बड़हरा (आरा) द्वारा निकासी एवं जमा राशियों का सत्यापन जिला कोषागार, आरा के रोकड़पंजी एवं कम्प्यूटर स्क्रीन के आधार पर शत–प्रतिशत किया गया, परन्तु कोषागार सत्यापन में पायी गयी अनियमितता का उल्लेख अनुवर्त्ती कंडिका ''2'' में किया गया है।

वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा यह प्रथम अंकेक्षण था। अतः पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की समीक्षा का प्रश्न हीं नहीं उठता है। महालेखाकार का कोई भी पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ड) वित्तीय समीक्षाः– आवंटन एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है। उक्त विवरणी के अवलोकन से ज्ञात होगा कि वर्ष 07–08 में आवंटन से संबंधित पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था फलस्वरूप आवंटन की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। साथ–हीं बचत या अधिक व्यय की स्थिति भी ज्ञात नहीं हो सकी। वर्ष 2008–09 के आवंटन एवं व्यय विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वर्ष के दौरान आवंटन के अन्तर्गत निकासी/व्यय किया गया था। साथ–हीं आवंटन के विरूद्ध व्यय के पश्चात् बचत राशि भी पाया गया, किन्तु बचत राशि के प्रत्यार्पण से

संबंधित पत्र अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया। फलस्वरूप बचत राशि के प्रत्यार्पण की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान उपर्युक्त बिन्दुओं पर समीक्षा के लिये विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। अंचल कार्यालय के माँग एवं संग्रहण (रिटर्न–1) की विवरणी परिशिष्ट ''ग'' संलग्न है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वर्ष 07–08 में माँग के विरूद्ध मात्र 66.31 प्रतिशत की वसूली एवं वर्ष 08–09 में माँग के विरूद्ध मात्र 20.10 प्रतिशत की वसूली की गयी थी, जो काफी कम है।माँग के विरूद्ध इतने कम प्रतिशत की वसूली किये जाने से राज्य के राजस्व संग्रहण पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। कि राजस्व वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त समुचित कार्रवाई की जाय। अंकेक्षान्तर्गत लेखावधि के सामान्य रोकड़ पुस्त एवं सहायक रोकड़ पुस्तो का ,प्रारभंण शेष, संवरण शेष एवं अंकेक्षण प्रारंभण तिथि दि0 20.12.10 का संवरण शेष का शीर्षवार ब्यौरा प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' संलग्न है।

विभागीय ज्ञापांक–503 दिनांक 29–1–1976 के आदेशानुसार अंकेक्षण प्रारभंण तिथि को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष रू0 90,01105.65 का भौतिक सत्यापन कर प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था साथ–हीं बैंक विवरणी भी प्रस्तुत नहीं किया गया फलस्वरूप बैंक शेष की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

अंकेक्षणाधीन कार्यालय के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त बल का ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ड0'' संलग्न है।

ब्यौरे के अवलोकन से ज्ञात होगा कि सहायक एवं राजस्व कर्मचारी के स्वीकृत बल से कम कार्यरत बल थे जिससे कार्यालय के कार्य में एवं राजस्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं आगे की प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनका नहीं किया सकता है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है ताकि राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति किया जाना संभव हो सके।

भाग –1

(2) कोषागार में जमा किए बिना सहायक रो0 पु0 के व्यय पक्ष में जमा दिखाकर रू0 95257.00 का गबन :–

शीर्ष 2029 (भू0 रा0) के सहा0 रो0 पु0 के व्यय पक्ष में कोषागार में जमा दर्शायी गयी राशियों का सत्यापन विप्रेषण पंजी (रेमिटेंश) से करने में पाया गया कि दि0 24.6.08 को संबंधित सहा0 रो0 पु0 एवं सामान्य रो0 पु0 के व्यय पक्ष में रू0 95257.00 का जमा दिखाकर संवरण शेष को घटा दिया गया था। विप्रेषण पंजी में भी रू0 95257.00 जमा शीर्ष 029 (भू0 रा0) तथा 210 (स्वास्थ्य) में जमा दिखाया गया था। परन्तु विप्रेषण पंजी पर बैंक का मोहर तथा चालान संख्या अंकित नही था तथा संबंधित चालान की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

कार्याल द्वारा जमा दर्शायी गयी राशियों का सत्यापन कोषागार अभिलेखों से करने पर पाया गया कि कोषागार जमा शिड्यल में रू0 95257.00 दि0 24.6.08 को जमा नही पाया गया एवं बैंक स्क्रॉल में भी दि0 24.6.08 को जमा नही दर्शाया गया था। इस प्रकार कोषागार में जमा किये बिना सहायक रो0 पु0 के व्यय पक्ष में जमा दिखाकर संवरण शेष की राशि घटाकर रू0 95257.00 का गबन कर लिया गया।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि गबन से संबंधित राशि रू0 95257.00 जमा हेतु संबंधित कर्म0/पदा0 से पत्राचार किया जा रहा है एवं विभागीय कार्रवाई हेतु उच्च पदा0 एवं प्रशासी विभाग को सूचना दी जा रही है। विप्रेषण पंजी में जमा दर्शायी गई राशि का विवरण निम्न है।

शीर्ष 029 (जमा) (भू0 रा0)		शीर्ष 210(जमा स्वास्थ्य)
1. लगान सेस	रू0 24298.00	1. स्वास्थ्य सेस 24725.00
2. रोड सेस	रू0 12442.00	
3. शिक्षा सेस	रू0 24725.00	
4. कृषि सेस	रू0 9018.00	
5. सूद	रू0 49.00	
	70532.00	

कुल लगान शीर्ष 029 – 270532.00
शीर्ष 210 – 24725.00
कुल रू0 – 95257.00

अतः रू0 95257.00 के किये गये गबन के लिए दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(3) चेक पंजी में दर्ज किये बिना विभिन्न चेको द्वारा बैक से निकासी की गयी राशि रू0 3642712.00 का संभावित गबन।

चेक पंजी से भारतीय स्टेट बैंक, आरा के बचत खाता सं0 11174360804 के विवरणी में निकासी दर्शायी गयी राशियों का रोकड़ पुस्त से सत्यापन में पाया गया कि बैंक विवरणी में विभिन्न चेकों से भिन्न–भिन्न तिथियों को भिन्न–भिन्न राशि की निकासी दर्शायी गयी थी। परन्तु इससे संबंधित राशियों का उल्लेख प्रस्तुत चेक पंजी एवं किसी भी सहायक रो0 पुस्तों के व्यय पक्ष में अंकित किया हुआ नही पाया गया और नही बैक से निकासी के उपयोग के प्रमाण में कोई अभिश्रव या भुगतान पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अर्थात् बैंक से गबन निकासी कर राशि रू0 3642712.00 का व्यक्तिगत उपयोग किया गया और न आगे भी संबंधित निकासी राशि बैंक में जमा किया गया।

उल्लेखनीय है कि अंकेक्षित अवधि में सामान्य रो0 पु0 के संवरण शेष का विस्तृत विवरण अंकित किया हुआ नही पाया गया। इस प्रकार से बैंक से निकासी की गयी कुल राशि की वास्तविक उपयोग का भी पता नही चल सका।

''निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि संभावित गबन संबंध में संबंधित पदा0/कर्म0 को सूचना दी जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर वस्तु स्थिति से अवगत कराया जायेगा। विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''प'' पर अंकित है।

अतः रू0 3642712.00 का गबन की संभावना प्रतीत होता है अतः विभागयी स्तर पर किसी सक्षम पदा0 से जाँच कराकर संबंधित दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्तियों पर विधि सम्मत न्यायोचित कार्रवाई कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित की जाय।

(4) निर्गत चेक पर राशि का अग्रलेखन कर बैंक से अधिक निकासी कर एवं संबंधित भुगतान नही दिखाये जाने के कारण रू0 927000.00 का संभावित गबन।

निर्गत चेक (छायाप्रति) की जाँच, चेक पंजी तथा बैंक विवरणी और संबंधित अभिलेखो से करने पर पाया गया कि निर्गत चेको पर वास्तविक अंकित राशि का या वास्तविक भुगतान योग्य राशि का अग्रलेखन कर बैंक से कुल रू0 927000.00 की अधिक निकासी कर ली गई थी, जिसकी विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'छ' संलग्न है। परन्तु अधिक निकासी गयी राशि से संबंधित भुगतान या अभिश्रव अंकेक्षण में नही दिखाया गया। सहा0 रो0 पु0 में वास्तविक अंकित राशि या वास्तविक भुगतान योग्य राशि की व्यय पक्ष में अंकित पाया गया। अग्रलेखन कर अधिक निकासी गई राशि बैंक में पुनः जमा किया हुआ नही पाया गया एवं अंकेक्षित अवधि में सामान्य रो0 पु0 के संवरण शेष का विस्तृत विवरण भी अंकित नही पाया गया जिससे बैंक से अधिक निकासी की गई राशि का वास्तविक उपयोग का पता नही चल सका।

आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि संभावित गबन के संबंध में संबंधित कर्म/पदा0 को सूचना दी जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायगा।

अतः निर्गत चेक पर अग्रलेखन कर कुल अधिक निकासी की गई राशि रू0 927000.00 की गबन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। विभागीय स्तर पर सक्षम पदा0 से जाँच कराकर गबन की स्थिति पाये जाने पर संबंधित उत्तरादयी एवं दोषी व्यक्तियों पर विधि सम्मत न्योयोचित कार्रवाई कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(5) रोकड़ पुस्त में कोषागार से निकासी राशि 55500.00 की प्रविष्टि नही पाया जाना, संभावित गबन :–

विपत्र पंजी से संबंधित रोकड़ पुस्तों के मिलान एवं कोषागार सत्यापन में पाया गया कि विपत्र सं0 60/07–08 शीर्ष 8011 टी0 भी0 न0 06/7.12.07 से रू0 50000.00 एवं विपत्र सं0 32/08–09 शीर्ष 2029 टी0 भी0 न0 52/दि0 22.7.08 से वर्दी मद में रू0 5500.00 कुल रू0 55500.00 कोषागार से निकासी की गई थी जिसकी प्रविष्टी विपत्र पंजी में भी की हुई पायी गयी थी परन्तु संबंधित रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में उक्त राशि की प्रविष्टि नही की गयी थी और न ही भुगतान से संबंधित वेतन भुगतान पंजी एवं वर्दी वितरण से संबंधित कोई साक्ष्य भी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

अतः भुगतान के साक्ष्य के अभाव में रू0 55500.00 के गबन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। जिसे विभागीय स्तर पर सक्षम पदा0 से जाँच कराकर अगर गबन की स्थिति पाई जाती है तो संबंधित उत्तरदायी एवं दोषी व्यक्ति पर विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई कर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय ।

(6) योग के भूल के कारण वास्तविक व्यय से अधिक व्यय दिखाया जाना रू0 1780.00 वसूली योग्य :–

(क) शीर्ष 2055(ग्रा0 पु0) के सहा0 रो0 पु0 के योग एवं संतुलन की जाँच में पाया गया कि दि0 12.02.08 को कुल व्यय का योग रू0 91215.00 दिखाया गया था। जबकि वास्तविक योग रू0 90041.00 होना चाहिए था। इस प्रकार रू0 (91215–90041)= रू0 1174.00 व्यय पक्ष में अधिक राशि अंकित कर संवरण शेष में कमी कर दी गयी।

(ख) आकस्मिक व्यय पंजी के योग की जाँच में पाया गया कि दि0 29.03.08 को शीर्ष 2029 के व्यय पक्ष में खर्च का कुल योग रू0 40500.00 दिखाया गया था जबकि वास्तविक योग रू0 39894.00 होना चाहिए था। इस प्रकार रू0 (40500.00–39894.00)=606.00 अधिक व्यय संबंधित रोकड़ पुस्त में व्यय दिखाकर संवरण शेष में कमी कर दी गई।

इस प्रकार (क) रू0 1174.00 एवं (ख) रू0 606.00 कुल रू0 1780.00 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(7) सामग्री के वास्तविक दर से अधिक दर पर गणना के कारण रू0 500.00 अधिक भुगतान किया जाना, वसूली योग्य :–

आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अनिल जनरल स्टोर, सेमरिया, भोजपुर का लेखन सामग्री के क्रय में वास्तविक दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया जिसके कारण रू0 500.00 अधिक भुगतान कर दिया गया जो संबंधित उत्तरदायी एवं दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

विवरणी इस प्रकार है :–

क्र0	शीर्ष	विपत्र सं0 भुगतान तिथि	अभिश्रव सं0	पानेवाले का नाम एवं पता	सामग्री का नाम	अदद	दर	भुगतेय राशि	भुगतान योग्य राशि	अंतर राशि वसूली योग्य
1	2029 (भू0 रा0)	30/08–09 17.7.08	1/ 08–09	अनिल जेनरल स्टोर सेमरिया, पड़रिया भोजपुर	गार्ड फाइल	30	25	1250/–	750/–	500.00

(8) अभिश्रव प्रस्तुत नही किये जाने के कारण रू0 53656.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 07–08 से संबंधित अभिश्रवों की जाँच एवं संबंधित रोकड़ पुस्त के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कार्यालय व्यय वाहन रख–रखाव आदि के भुगतान से संबंधित अभिश्रवों की राशि की प्रविष्टि संबंधित रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में की गई थी परन्तु इससे संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया जा सका जिससे व्यय की सत्यता की जाँच नही की जा सकी। जिसकी विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''झ'' में संलग्न है।

अतः कुल रू0 53656.00 के अभिश्रव उपलब्ध कराकर एंव उसे विभागीय स्तर पर सक्षम पदा0 से जाँच करा ली जाय एवं जाँच में अनियमितता पाये जाने पर या उक्त राशि से संबंधित अभिश्रव नही पाये जाने पर संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति पर आवश्यक विधि सम्मत कारवाई की जाय एवं वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय तबतक के लिए रू0 53656.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(9) यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति प्रस्तुत नही किए जाने के कारण रू0 5000.00 का भुगतान आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2029 के सहा0 रो0 पु0 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि यात्रा भत्ता मद में रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में कुल रू0 5000.00 विभिन्न कर्मचारियों के नाम से भुगतान दिखाया गया था परन्तु भुगतान से संबंधित यात्रा–भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति एवं यात्रा भत्ता भुगतान पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जिससे भुगतान की सत्यता की जाँच नही की जा सकी। इससे संबंधित विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'ञ' में दर्शायी गई है।

अतः रू0 5000.00 के यात्रा भत्ता मद में भुगतीत राशि से संबंधित यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति की जाँच विभागीय स्तर पर किसी सक्षम पदा0 से जाँच कराकर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय राशि वसूली योग्य होगा। तबतक के लिए रू0 5000.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

<u>भाग –2</u>

(10) अंकेक्षण के दृष्टांत पर अधिक भुगतान की गई राशि रू0 2080.00 को वेतन विपत्र की राशि से कटौती कर वसूल किया जाना :–

(क) रू0 1600.00 अधिक ली गई राशि की वसूली :–

शीर्ष 2055 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री रामबली राम, चौकीदार को मार्च 07 के वेतन मद में रू0 1000.00 अधिक भुगतान किया गया था। इसी प्रकार शीर्ष 2029 स्थापना के श्री रामबिहारी प्र0, अमीन को माह अगस्त,07 के वेतन मद में रू0 600.00 अधिक भुगतान किया गया था जिसे निर्गत आपत्ति के अनुपालन में क्रमशः विपत्र सं0 99/10–11 माह अगस्त से नवम्बर' 10 के वेतन से रू0 1000.00 एवं विपत्र सं0 103/10–11 माह फरवरी' 11 के वेतन से रू0 600.00 की कटौती कर वसूल कर ली गयी थी, जिसका सत्यापन कर लिया गया।

(ख) रू0 480.00 वेतन मद में अधिक ली गई राशि की वसूली किया जाना :–

शीर्ष 2029 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री रामबिहारी प्र0 ,अमीन को आवास भत्ता मद में रू0 240.00 अधिक भुगतान किया गया था एवं शीर्ष 2055 के श्री मुनी शंकर पासवान, चौकीदार, शिवनाथ राय, चौकीदार, महेन्द्र कहार, चौकीदार एवं शिवनाथ राम, चौकीदार प्रत्येक को रू0 60.00– 60.00 कुल रू0 480.00 (240.00+240.00) आवास भत्ता मद में अधिक भुगतान किया गया था। जिसे निर्गत आपत्ति के अनुपालन में विपत्र सं0 103/10–11 माह फरवरी'11 के वेतन से 240.00 एवं विपत्र सं0 99/10–11 अगस्त से नवम्बर'10 के वेतन से 240.00 कुल रू0 480.00 की कटौती कर वसूली कर ली गयी,जिसका सत्यापन कर लिया गया।

इस प्रकार कुल रू0 (क) रू0 1600.00 एवं (ख) रू0 480.00 कुल रू0 2080.00 अंकेक्षण के दृष्टान्त पर वेतन से कटौती कर वसूली कर लिया गया।

(11) अव्यवहृत राशि की कोषागार में जमा किये जाने का सुझाव।

विभिन्न सहा0 रो0 पुस्तों, सा0 रो0 पु0 एवं बैंक विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवंटन के व्ययगत होने से बचने के लिए या व्यय की प्रत्याशा में कोषागार से निकासी कर राशि विभिन्न बैंको में एवं उससे संबंधित सहा0 रो0 पु0 में यो ही काफी लम्बे समय से पड़ी हुई थी जो बिहार कोषागार सांहिता भाग–1 के नियम 300 के प्रतिकूल है। इससे राज्य सरकार को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं कभी –कभी ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया को 18 प्रतिशत सूद से लौटाना भी पड़ता है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पूर्व की सारी राशि को कोषागार में जमा या संबंधित विभाग को वापसी कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय ताकि इस राशि का सदुपयोग कर राज्य के विकास में समुचित उपयोग किया जा सके एवं होने वाले गबन वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।

(12) सामान्य रो0 पु0 के संवरण के भौतिक सत्यापन नही किया जाना।

सा0 रो0 पु0 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सा0 रो0 पु0 के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन माह के अन्त में नही किया गया था जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 तथा वित्त विभागीय पत्रांक 1940 दि0 14.2.79 के प्रतिकूल है। यदि इस नियम का ससमय पालन किया जाता तो किया गया गबन/संभावित गबन से बचा जा सकता था।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि इस नियम का पालन अवश्य किया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0–2

(2)

" NISHU''

परिशिष्ट "क" कंडिका 1(ट) से संबंधित
प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. विपत्र पुस्त वर्ष 07–08 से 08–09
2. सामान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 07–08 से 08–09
3. नाजीर रसीद वर्ष 07–08 से 08–09
4. विभिन्न सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष 07–08 से 08–09
5. शीर्ष 2029 एवं शीर्ष 2055 के वेतन भुगतान पंजी वर्ष 07–08 से 08–09
6. आवंटन पंजी वर्ष 08–09
7. विप्रेषण (रेमिटेंस) पंजी वर्ष 07–08 से 08–09
8. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति एवं भुगतान पंजी वर्ष 08–09
9. आकस्मिक व्यय पंजी वर्ष 07–08 से 08–09
10. विभिन्न शीर्षों के अभिश्रव वर्ष 07–08 से 08–09
11. चेक पंजी वर्ष 07–08 से 08–09
12. बैंक खाता
    (क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आरा (खाता सं0–11174360804)
    (ख) पंजाब नेशनल बैंक, बड़हरा (खाता सं0 1228000100110930)
    (ग) पंजाब नेशनल बैंक, सरैया (खाता सं0 –01748)
13. बैंक जमा एवं निकासी विवरणी वर्ष 07–08 से 08–09
14. निर्गत लगान रसीद एवं भंडार पंजी वर्ष 07–08 से 08–09

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. आवंटन पंजी वर्ष 07–08
2. कोषागार जमा चालान पंजी वर्ष 07–08 से 08–09
3. बैंक पंजी
4. निर्गत चेकों की पंजी वर्ष 07–08 से 08–09
5. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति एवं भुगतान पंजी वर्ष 07–08
6. गाड़ियों के लौग बुक एवं इतिहास पुस्त वर्ष 07–08 से 08–09
7. अस्थायी अग्रिम पंजी
8. असमायोजित अभिश्रवों की पंजियो (सभी शीर्षो का) वर्ष 07–08 से 08–09
9. सेवा पुस्त
10. अस्थायी एवं स्थायी सामग्रियो की भंडार पंजी।

परिशिष्ट 'ख' कंडिका 1(ड) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी
शीर्ष 2029 (भू0 रा0)
वर्ष 07–08

मद	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
वेतन	अप्राप्त	2751190.00	—	—	—
कार्यालय व्यय	अप्राप्त	5000.00	—	—	—
यात्रा भत्ता	अप्राप्त	5000.00	—	—	—
वर्दी भत्ता	अप्राप्त	5500.00	—	—	—
गाड़ी का रख रखाव	अप्राप्त	25000.00	—	—	—

शीर्ष 2055 (ग्रा0 पु0)

मद	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
वेतन	अप्राप्त	7013668.00	—	—	—
वर्दी भत्ता	अप्राप्त	56700.00	—	—	—

शीर्ष 2245 (साहय्य)

मद	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
	अप्राप्त	314621.00	—	—	—

परिशिष्ट ''ख'' कंडिका 1(ड) से संबंधित
शीर्ष 2029 (भू0 रा0)
वर्ष (08–09)

मद	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
वेतन	2870000.00	2685026.00	184974.00	–	–
कार्यालय व्यय	5000.00	5000.00	–	–	–
यात्रा भत्ता	14000.00	14000.00	–	–	–
वर्दी भत्ता	5500.00	5500.00	–	–	–
गाड़ी का रख रखाव	25000.00	25000.00	–	–	–

शीर्ष 2055 (ग्रा0 पु0)
वर्ष 08–09

मद	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
वेतन	7689333.00	7670995.00	18338.00	–	–
वर्दी भत्ता	57700.00	56672.00	1028.00	–	–
पुरस्कार	650	–	650.00	–	–

शीर्ष 2245 (सहाय्य)

मद	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
अग्नि सहाय्य	240000.00	240000.00	–	–	–
बाढ़ सहाय्य	1787500.00	1787500.00	–	–	–

शीर्ष 2235 (सा0 सु0)

मद	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	अभ्युक्ति
कार्यालय व्यय	13000.00	12965.00	35.00	–	6/मु0 दि0 27.3.2009

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 1(ड) से संबंधित
रिटर्न –I (वर्ष 2007–08)
माँग एवं वसूली गयी राशि।
जिला भोजपुर (आरा) अनुमंडल –भोजपुर, अंचल–बड़हरा।

	वर्ष 07–08 की मांग			वर्ष 07–08 की वसूली			वर्ष 07–08 की अवशेष राशि			प्रति0
मांग की प्रकृति	बकाया	वर्त्तमान	योग	बकाया	वर्त्तमान	योग	बकाया	वर्त्तमान	योग	
लगान	204104.61	320825.71	524930.32	195045.00	203389.20	398434.20	9059.61	117436.51	126496.12	
सेस	103907.44	78619.05	182526.49	64320.50	40495.00	104815.50	39586.94	38124.05	77710.99	
शिक्षा सेस	208862.11	157238.10	366100.21	110220.50	100384.00	210604.50	98641.61	56854.10	155495.71	
स्वास्थ्य सेस	214683.82	157238.10	371921.92	110220.50	100384.00	210604.50	104463.32	56854.10	161317.42	
कृषि सेस	54442.00	57502.14	111944.14	45278.15	36069.45	81347.60	9163.85	21432.69	30596.54	
ब्याज				26976.78		26976.78				
सैरात				–						
कुल योग	785999.00	771423.10	1557423.08	552061.43	480721.65	1032783.08	260915.33	290701.45	551616.78	66. 31%

1. कुल वसूली गयी राशि वर्ष 07–08 के बीच – रू0 1032783.08
2. कोषागार में जमा की गई राशि वर्ष 07–08 (दि0 31.03.2008 तक)
3. कोषागार में जमा की गई राशि वर्ष 07–08
4. कोषागार में जमा की गई राशि वर्ष 07–08 – रू0 1032783.08
5. कर्मचारी एवं नाजीर के पास अवशेष राशि – शून्य

परिशिष्ट 'ग' कंडिका 1(ड) से संबंधित
रिटर्न–I (वित्तीय वर्ष 2008–09)
माँग एवं वसूली गयी राशि
जिला भोजपुर 'आरा' अनुमंडल भोजपुर,अंचल बड़हरा।

	वर्ष 08–09 की मांग			वर्ष 08–09 की वसूली			वर्ष 08–09 की अवशेष राशि			प्रति0
मांग की प्रकृति	बकाया	वर्त्तमान	योग	बकाया	वर्त्तमान	योग	बकाया	वर्त्तमान	योग	
लगान	1681429.56	320828.71	2002258.27	328939.00	75532.00	404471.00	1352490. 56	245296.71	1597787. 27	
सेस	420857.39	78619.05	499476.44	75864.00	25210.00	101074.00	344993.39	53409.05	398402.44	
शिक्षा सेस	845714.78	157238.10	1002952.88	151250.00	50240.00	201490.00	694464.78	106998.10	801462.88	
स्वास्थ्य सेस	845714.78	157238.10	1002952.88	151250.00	50240.00	201490.00	694464.78	106998.10	801462.88	
कृषि सेस	317428.19	57502.14	374930.33	64133.00	13520.00	77653.00	253295.19	43982.14	297277.33	
ब्याज	115429.20	–	115429.20	18789.00	–	18789.00	96640.20	–	96640.20	
सैरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
कुल योग	4226573.90	771426.10	4998000.00	790225.00	214742.00	1004967.00	3436348. 90	556684.10	3993033. 00	20.10

1. कुल वसूल की गई राशि वर्ष 2008–09 के बीच – रू0 1004967.00–95257.00 = 909710.00
2. कोषागार में जमा की गई राशि वर्ष 2008–09 (दि0 31.03.2009 तक) – 745583.00
3. कोषागार में जमा की गई राशि वर्ष 2008–09 (दि0 31.03.2009 बाद) – 259384.00
4. कोषागार में जमा की गई राशि वर्ष 2008–09 में – 1004967.00–95257.00 = 909710.00
5. कर्मचारी एवं नाजीर के पास अवशेष राशि – शून्य

पूर्व नाजीर श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष 08–09 की लगान एवं स्वास्थ्य राशि को रू0 70532. 00+24725.00=रू0 95257.00 (पन्चानवे हजार दो सौ सन्तावन रूपये) कोषागार में जमा नही किया गया है। परन्तु रोकड़ पंजी में रू0 95257.00 घटाकर लिख गया है। वित्तीय वर्ष 08–09 की कुल वसूली राशि रू0 1004967.00 है जिसमें रू0 95257.00 घटाकर शेष रू0 909710.00 का रिटर्न–I जमा की जा रही है।

परिशिष्ट 'घ' (कंडिका 1 'ड' से संबंधित)
सामान्य रोकड़ पुस्त एवं सहायक रोकड़ पुस्तों के प्रारम्भण शेष, संवरण शेष एवं अंकेक्षण, प्रारभंण तिथि का शीर्षवार व्यौरा :–

क्र0	विभिन्न शीर्ष के सहा0 रोकड़ पुस्त	दि0 1.4.07 का प्रा0 शेष	दि0 31.03.08 का सं0 शेष	दि0 31.03.09 का सं0 शेष	दि0 20.12. 2010 का सं0 शेष
1	2029(भू0 रा0)	517455.18	217704.84	320221.84	330100.84
2	2055 (ग्रा0 पु0)	40629.85	880394.85	149647.85	149647.85
3	2245 (सहाय्य)	63410.48	63627.98	205387.98	6127275.98
4	विविध	15459.20	14459.20	60459.20	100459.20
5	2015 (निर्वाचन)	20785.05	20785.05	20785.05	20785.05
6	2235 (सामाजिक सुरक्षा)	1746694.00	1746694.00	1746694.00	1746694.00
7	मातृत्व लाभ	601.00	601.00	601.00	601.00
8	सूद	10514.00	10514.00	10514.00	31459.00
9	आकस्मिकता	6.73	6.73	6.73	6.73
	सामान्य रोकड़ पुस्त	2415555.49	2954787.65	2514317.65	8507029.65

परिशिष्ट 'ड0' कंडिका 1(ड) से संबंधित
स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त बल की विवरणी :–

क्र0		स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1	अंचलाधिकारी	01	01	—
2	अंचल निरीक्षक	01	01	01 कार्य पारित राजस्व कर्मचारी
3	अंचल अमीन	01	01	—
4	सहायक	06	04	02
5	राजस्व कर्मचारी	11	07	04
6	अनुसेवक	05	05	—
		25	19	07

परिशिष्ट 'क' कंडिका 3 से संबंधित
चेक पंजी में दर्ज किए बिना विभिन्न चेको द्वारा बैंक से निकासी की गई राशि का विवरणी।

क्र0 सं0	चेक सं0	निकासी तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	100571	7.4.07	29000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम –श्री मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
2	605689	7.4.07	10000.00	
3	100574	16.4.07	220000.00	
4	089574	16.4.07	10000.00	
5	अंकित नही	18.4.07	150000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
6	100565	21.4.07	10000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
7	100577	25.4.07	168000.000	
8	100576	4.5.07	129000.00	
9	100585	8.5.07	204000.00	
10	100586	11.5.07	93400.00	
11	100587	16.5.07	94200.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
12	100505	18.5.07	167612.00	
13	100581	6.6.07	10000.00	
14	100578	18.6.07	10000.00	
15	689004	15.9.07	60000.00	
16	689016	7.11.07	20000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
17	689021	22.11.07	300000.00	
18	689020	23.11.07	300000.00	
19	689034	9.12.07	280000.00	
20	689035	9.12.07	300000.00	
21	689045	2.2.08	37500.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
22	689097	8.7.08	114000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
23	689098	22.7.08	414000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
24	689099	1.8.08	106000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
25	6890100	25.7.08	406000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्तकर्त्ता का नाम मनोज कुमार सिंह, नाजिर।
			3642712.00	

परिशिष्ट 'छ' कंडिका 4 से संबंधित

निर्गत चेक पर राशि का अग्रलेखन कर बैंक से अधिक निकासी कर एवं संबंधित भुगतान नही दिखाय जाने की विवरणी :—

क्र0 सं0	चेक सं0 / तिथि	मद	शीर्ष	चेक पंजी में दर्शायी गयी राशि	भुगतीत राशि	अभिश्रव सं0 एवं भुगतान तिथि	बैंक विवरणी में निकासी दर्शायी गयी राशि एवं तिथि	भुगतीत राशि से अधिक निकासी गयी राशि	अभ्युक्ति
1	689003 / 19.9.07	कार्यालय व्यय	2029 (भू0 रा0)	800.00	800.00	77 / 07—08 29.03.08	62800 / 21.9.07	62000.00	चेक पर अंकित भुगतान प्राप्त कर्त्ता का नाम —श्री मनोज कुमार सिंह, नाजिर
2	689008 / 10.10.07	अंचलाधिकारी का वेतन	2029 (भू0 रा0)	13000.00	13000.00	49 / 07—08 26.11.07	113000 / 11.10.07	100000.00	ʻʻ
3	689037 / 18.12.07	कार्याल व्यय	2029 (भू0 रा0)	800.00	800.00	77 / 07—08 29.03.08	25800 / 24.12.07	25000.00	ʻʻ
4	689041 / 10.01.08	अंचलाधिकारी का वेतन	2029 (भू0 रा0)	16000.00	16000.00	67 / 07—08 21.01.08	116000 / 10.01.08	100000.00	ʻʻ
5	689046 / 29.01.08	कार्यालय व्यय	2029 (भू0 रा0)	900.00	900.00	77 / 07—08 29.03.08	70900 / 30.01.08	70000.00	
6	689060 / 12.03.08	कार्यालय व्यय	2029 (भू0 रा0)	900.00	900.00	77 / 07—08 29.03.08	70900 / 12.03.08	70000.00	
7	689070 / 3.4.08	अंचलाधिकारी का वेतन	2029 (भू0 रा0)	14000.00	14000.00	24 / 07—08 21.06.07	114000 / 4.4.08	100000.00	
8	689071 / 7.4.08	अग्नि कांड हेतु	2245 (सहाय्य)	10000.00	10000.00	18 / 08—09 15.07.08	110000 / 8.4.08	100000.00	
9	689078 / 8.5.08	अग्नि कांड हेतु	2245 (सहाय्य)	20000.00	20000.00	18 / 08—09 15.07.08	120000 / 14.5.08	100000.00	
10	689079 / 14.5.08	अंचलाधिकारी का वेतन	2029 (भू0 रा0)	14000.00	14000.00	24 / 07—08 21.06.07	214000 / 17.5.08	200000.00	
								927000.00	

परिशिष्ट 'झ' कंडिका—8 से संबंधित।

अभिश्रव प्रस्तुत का नही किये जाने के कारण व्यय की विवरणी :–

क्र0 सं0	शीर्ष	मद	विपत्र सं0 /भुगतान तिथि	अभिश्रव सं0 /वर्ष	पानेवाले का नाम एवं पता	रकम	अभ्युक्ति
1	2029 (भू0 रा0)	कार्यालय व्यय	77/07–08 29.03.08	अंकित नही	साई स्टेशनरी, जैन स्कूल, आरा	5000.00	
2	2029 (भू0 रा0)	वाहन रखरखाव	78/07–08 29.03.08	1/07–08	साधना यातायात, गांगी , आरा	340.00	
				2/07–08	साधना यातायात, गांगी ,आरा	690.00	
				3/07–08	मेसर्स ऑटो सर्विस, रमना रोड, आरा	330.00	
				4/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	330.00	
				5/07–08	ऑटो सर्विस, रमना रोड, आरा	330.00	
				6/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन , चदँवा , आरा	669.00	
				7/07–08	साधना यातायात, आरा	496.00	
				8/07–08	कालूराम बाबूलाल	170.000	
				9/07–08	साधना यातायात, आरा	496.00	
				10/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	512.00	
				11/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	991.00	
				12/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	334.00	
				13/07–08	ऑटो सर्विस, रमना रोड, आरा	595.00	
				14/07–08	हाइवे सर्विस NH-30 , आरा	356.00	
				15/07–08	साधना यातायात ,आरा	352.00	
				16/07–08	साधना यातायात ,आरा	387.00	
				17/07–08	ऑटो सर्विस, आरा	352.00	
				18/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	512.00	
				19/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	352.00	
				20/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस	352.00	

					स्टेशन, चदँवा, आरा		
				21/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	352.00	
				22/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	352.00	
				23/07–08	ऑटो सर्विस, आरा	511.00	
				24/07–08	ऑटो सर्विस, आरा	496.00	
				25/07–08	साधना यातायात ,आरा	496.00	
				26/07–08	साधना यातायात ,आरा	345.00	
				27/07–08	प्रेम हाइवे सर्विस NH-30 ,आरा	330.00	
				28/07–08	प्रेम हाइवे सर्विस NH-30 ,आरा	682.00	
				29/07–08	प्रेम हाइवे सर्विस NH-30 ,आरा	352.00	
				30/07–08	साधना यातायात ,आरा	352.00	
				31/07–08	साधना यातायात ,आरा	176.00	
				32/07–08	साधना यातायात ,आरा	492.00	
				33/07–08	साधना यातायात ,आरा	661.00	
				34/07–08	साधना यातायात ,आरा	340.00	
				35/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	704.00	
				36/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	352.00	
				37/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	704.00	
				38/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	334.00	
				39/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	991.00	
				40/07–08	माँ आरण्य देवी सर्विस स्टेशन, चदँवा, आरा	495.00	
				41/07–08	ऑटो सर्विस ,आरा	992.00	
				42/07–08	ऑटो सर्विस ,आरा	352.00	
				43/07–08	ऑटो सर्विस ,आरा	528.00	
				44/07–08	ऑटो सर्विस ,आरा	352.00	
				45/07–08	ऑटो सर्विस ,आरा	340.00	
				46/07–08	नियोत्री एंड कंपनी ,आरा	176.00	
				47/07–08	नियोत्री एंड कंपनी ,आरा	992.00	

				48／07—08	नियोत्री एंड कंपनी ,आरा	165.00	
				49／07—08	साधना यातायात ,आरा	661.00	
				50／07—08	शिवनरायण लाल	880.00	
				51／07—08	कुमार सर्विस	493.00	
					योग—	24394.00	
3	2245 (सहाय्य)	आकस्मिक व्यय	83／07—08 29.03.08	1／07—08	अंकित नही	19000.00	
			95／07—08 31.03.08	180／07—08	अंकित नही	336.00	
				181／07—08	अंकित नही	742.00	
				182／07—08	अंकित नही	472.00	
				183／07—08	अंकित नही	622.00	
				184／07—08	अंकित नही	675.00	
				185／07—08	अंकित नही	468.00	
				186／07—08	अंकित नही	603.00	
				187／07—08	अंकित नही	1344.00	

योग— 5262.00

कुल योग— 5000+24394+19000+5262= 53656.00

परिशिष्ट 'ञ' कंडिका –9 से संबंधित
यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति अप्रस्तुत की विवरणी :–

क्र0 सं0	शीर्ष	मद	विपत्र सं0 / भुगतान तिथि	पानेवाले का नाम, पदनाम	रकम	अभ्युक्ति
1	2029 (भू0 रा0)	यात्रा भत्ता	79 / 07–08 29.03.2008	श्री शिवमुनी राम, प्र0 लिपिक	1600.00	
				श्री राम बिहारी प्रसाद ,अमीन	600.00	
				श्री मनोज कुमार सिंह, नाजिर	1300.00	
				श्री राजेन्द्र प्रसाद ,अनुसेवक	500.00	
				श्री दुलार चन्द राम, अनुसेवक	500.00	
				श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद	500.00	
					5000.00	